न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक
(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 24/2020
प्रविष्टि दिनांक 11.08.2020

संध्या कुमारी पुत्री ठाकुर नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी डिग्गी हाउस शिवाजी मार्ग सी–स्कीम जयपुर जरिये मुख्त्यार आम श्री राघव प्रताप सिंह पुत्र श्री रामप्रताप सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–डिग्गी हाउस, शिवाजी मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राजस्थान)

............प्रार्थी

बनाम

1. धनेश्वर सिंह तंवर पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत,
2. .ज्ञानकंवर पत्नी पदम सिंह जाति राजपूत
3. यशोवर्धन सिंह पुत्र सोमेश्वर सिंह, जाति राजपूत, उम्र 17 वर्ष, नाबालिग जरिये संरक्षक माता कीर्तिकंवर पत्नी सोमेश्वर सिंह, जाति राजपूत
4. गजराज सिंह पुत्र सोमेश्वर सिंह, जाति राजपूत, उम्र 14 वर्ष, नाबालिग जरिये संरक्षक माता कीर्तिकंवर पत्नी सोमेश्वर सिंह, जाति राजपूत
5. कीर्तिकंवर पत्नी सोमेश्वर सिंह, जाति राजपूत
   उपरोक्त सभी निवासीगण ग्राम सिन्धोलिया माताजी तहसील मालपुरा, हाल निवासी–पंचवटी मेजर पूरणसिंह मार्ग, ठाकुर रामसिंह का ठेरा, रोशनी घर के पास, बीकानेर (राजस्थान)
6. तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक
7. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट धारा 24 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री विक्रम जैन, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3

निर्णय **दिनांक 31.12.2020**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के यहां बउनवान संध्या कुमारी बनाम धनेश्वर सिंह व अन्य मुकदमा नम्बर 88/2018 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 71/2018 विचाराधीन है। विचाराधीन प्रकरणो को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा से अन्य समकक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय मे हस्तान्तरित रकने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। उपखण्ड अधिकारी मालपुरा से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी मालपुरा से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमे प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपो के जवाब मे अंकित किया है कि न्यायालय हाजा मे जैरकार मूल वाद संख्या 88/2018 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 71/2018 न्यायालय हाजा मे विचाराधीन है। इसमे गत पेशी दिनांक 29.07.2020 नियत थी।उसके बाद आगामी पेशी दिनांक 06.08.2020 नियत थी। प्रकरण मे प्रतिवादी के रूप मे 6 पक्षकारान है। जिसमे 1 ता. 5 की तरफ से जवाब पेश हो चुका है। प्रतिवादी नं. 6 के रूप मे तहसीलदार मालपुरा की तलबी होनी शेष थी। तत्पश्चात अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे बहस होना शेष थी। तलबी प्रतिवादी–अप्रार्थी नं. 6 की होने के पश्चात ही प्रकरण बहस की स्टेज पर आता है। अभिभाषक अप्रार्थी के निवेदन के मध्यनजर पत्रावली मे आठ दिन की अग्रिम तारीख 06.08.2020 नियत की गई है। प्रार्थना पत्र का बिन्दू संख्या 2 अस्वीकार है कि बहस सुनने के बाद प्रार्थना पत्र 71/2018 खारिज किया जावेगा। न्यायालय हाजा मे इस प्रकार के सभी प्रकरणो मे 8–10–15 दिन की तारीख दी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि काश्तकारो को सही समय पर न्याय मिल सके एंव राजस्व वादो का निस्तारण जल्दी हो सके। अन्य प्रकरणो मे भी वादी या प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा निवेदन किये जाने पर नजदीक तारीख पेशींया दी जा रही है ताकि प्रकरणो का निस्तारण हो सके। न्यायालय हाजा मे प्रकरण की सुनवाई विधिक रूप से न्यायोचित तरीके से की जा रही है। प्रकरण मे उभयपक्ष को सुना जाकर विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये सभी तथ्य असत्य निराधार व कल्पना से परे है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मात्र मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की मंशा से श्रीमान जी के यहां पेश किया गया है।यदि फिर भी श्रीमान जी प्रकरण को अन्य किसी भी समक्ष न्यायालय मे ट्रांसफर करना चाहे तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कोई आपत्ति नही है।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु नजदीक की तारीख पेशी दी जा रही है एंव प्रार्थी के मुख्तियार आम के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि पीठासीन अधिकारी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को बहस सुनने के बाद खारिज करेगे। अतः बउनवान संध्या कुमारी बनाम धनेश्वर सिंह व अन्य मुकदमा नम्बर 88/2018 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 71/2018 को उपरोक्त तथ्यो व परिस्थितियो को देखते हुए प्रकरण को किसी भी समकक्ष उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय मे हस्तान्तरित करने का श्रम करे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाबी बहस मे निवेदन किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे निर्णय विपरित भी हो सकता है [illegible] संभावना के मध्यनजर प्रार्थी ने 2018 से चले रहे अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] मे देरी करने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

हस्तान्तरित प्रार्थना पत्र लगाया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत अपने कथन की पुष्टि मे प्रस्तुत नही किया है जिससे जाहिर हो कि पीठासीन अधिकारी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 71/2018 को खारिज करने पर आमादा हो। अतः प्रार्थना पत्र किये जाने हस्तान्तरित खारिज किया जाना न्यायोचित है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय मे जेरकार प्रकरणो मे पक्षकारान के मध्य तारीख पेशी को लेकर विवाद है। प्रार्थी को सन्देह है कि वाद जैरकार न्यायालय से न्याय मिलने की सम्भावना नही है तथा अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी प्रकरण मे देरी करने के लिए हस्तान्तरित चाहता है। अतः प्रार्थी को न्याय नही होने का सन्देंह भी न रहे तथा अप्रार्थी को प्रकरण मे देरी करने की शिकायत भी नही रहे इस दृष्टि से आदेश दिया जाता है कि बउनवान संध्या कुमारी बनाम धनेश्वर सिंह व अन्य मुकदमा नम्बर 88/2018 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 71/2018 को उपरोक्त तथ्यो व परिस्थितियो को देखते हुए प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू को स्थानान्तरित किया जाता है साथ ही उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण संख्या 88/2018 व 71/2018 को दिनांक 15.01.2021 से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू को प्रेषित करे तथा अभिभाषकगण/पक्षकारान को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू मे दिनांक 15.01.2021 को उपस्थित होने बाबत सूचित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 15.01.2021 को उपस्थित होकर पैरवी करे तथा उपखण्ड अधिकारी पीपलू को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण मे दिनांक 15.01.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 71/2018 पर बहस सुनकर विधि सम्मत् निर्णय पारित करे तथा वाद की सुनवाई मे लंबी तारीख पेशी ना देकर समय पर वाद का विधि सम्मत् निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner